Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 10-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 10, 2020 (PHALGUNA 20, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वन तथा वन्यप्राणी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 फरवरी, 2020

संख्या 394–वन–I–2020/1502.– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 30 तथा 32, जिसके उपबन्ध, हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या 1463–व–1–2019/13429, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पर लागू किए गए हैं, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे कुछ भी हो, किसी वृक्ष को न तो काटेगा, न ही गिरायेगा या न ही छांटेगा अथवा न ही किसी भी वन उपज को हटाएगा।
2. किसी भी जलधारी के तट से अथवा निर्झर–तल से तीस फुट की दूरी के भीतर खड़ा कोई हरा वृक्ष किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे कुछ भी हो, गिराया नहीं जाएगा ।
3. कोई भी व्यक्ति, किसी भेड़, बकरी, ऊंट या अन्य पशुओं को भूमि पर न तो एकत्रित करेगा, न चराने के लिए ले जाएगा, न ही चराएगा अथवा न ही रोके रखेगा।
4. कोई भी व्यक्ति न तो घास काटेगा या न ही हटाएगा।
5. कोई भी व्यक्ति कृषि अथवा अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमि को न साफ करेगा, न ही तोड़ेगा।
6. कोई भी व्यक्ति, आग को फैलने से रोकने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरते बिना घास, वृक्षों अथवा ईमारती लकड़ी या पेड़ अथवा किसी भी वन उपज को आग नहीं लगायेगा अथवा उस भूमि पर आग नहीं जलाएगा।

7. ऐसे स्थानों पर पत्थर की खुदाई अथवा चूना जलाने को, जहां हरियाणा सरकार, वन तथा वन्यप्राणी विभाग की अधिसूचना संख्याः 1463–व–1–2019/13429, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के प्रकाशन से पूर्व ऐसा पत्थर अथवा चूना साधारण तौर पर खोदा या जलाया नहीं जाता है। वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत वन मण्डल के साथ परामर्श करने पश्चात् जिला कलैक्टर की अनुज्ञा के सिवाय किये जाने पर प्रति निषिद्ध किया जाएगा ।

8. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 68 के अधीन इन नियमों के विरुद्ध अपराधों के प्रशमन से होने वाली आय सरकार के पास जमा की जाएगी।

आलोक निगम,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्यप्राणी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 24th February, 2020

No. 394-Ft.-1-2020/1502.— In exercise of the powers conferred by Sections 30 and 32 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the provisions where of have been made applicable to the land specified in the Schedule appended to Haryana Government, Forest and Wildlife Department, notification No. 1463-Ft.-1-2019/ 13429, dated the 12th September, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following rules applicable to the land specified in the Schedule to the aforesaid notification, namely:-

RULES

1. No person shall cut, fell or lop any tree for any purpose whatsoever or remove any forest produce.

2. No green tree standing within thirty feet of the bank of any stream or torrent bed shall be felled for any purpose whatsoever.

3. No person shall herd, pasture, graze or retain any sheep, goats, camels or other cattle on the land.

4. No person shall clear or break up the land for cultivation or other purpose.

5. No person shall cut or remove grass.

6. No person shall set fire to grass, trees or timber or kindle fire on the land without taking reasonable precautions to prevent its spreading.

7. The quarrying of stone or the burning of lime at places where such stone or lime had not ordinarily been so quarried or burnt prior to the publication of Haryana Government, Forest and Wildlife Department, notification No.1463-Ft.-1-2019/13429, dated the 12th September, 2019 shall be prohibited, except with permission of the Collector of Sonepat District in consultation with the Divisional Forest Officer, Sonepat.

8. Income from compounding of offences against these rules under section 68 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), shall be credited to the Government.

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Forest and Wildlife Department.

8704—C.S.—H.G.P., Pkl.